न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–156/2020 (GCMS No. 2020/00156) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गजुआ पुत्र रमले आयु 65 साल जाति जाटव निवारी औंड तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

..........अपीलांट

बनाम

1. राज.राज्य जरिये तहसीलदार करौली हाल तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

.........रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 27.04.2015 मुकदमा नम्बर 05/2013 बउनवान सरकार बनाम गजुआ।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील।
2. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य   दिनांक : 17.01.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 27.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट का आवंटन दिनांक 11.06.1992 विधिवत व वैध है। अपीलांट का आवंटित आराजी खसरा नम्बर 1405 रकवा 3 बीघा ग्राम औंड पर आवंटन से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में दिनांक 25.06.1997 के निर्णय की अपील संख्या 299/08 गजुआ बनाम सरकार न्यायालय श्रीमान में पेश की जिसे आंशिक स्वीकार कर निर्णय दिनांक 25.06.1997 को निरस्त कर उक्त आवंटन की जॉच दस्तावेजी साक्ष्य से किया जाकर पुनः परीक्षण करने का आदेश दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पत्रावली को बिना तलव किये गलत तौर पर प्रकरण में बहस सुनकर जैर अपील निर्णय दिनांक 28.02.2011 विधि विरूद्व पारित किया था। पत्रावली में आवंटन रिकार्ड तलव किये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जाने की आदेशिका रही है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्वत् 2048 से 2051 की खसरा गिरदावरी स्वयं प्रार्थी रेस्पोडेंट तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी जिसमें काश्त पूर्ण अंकित है। इस तथ्य को जानबूझकर निर्णय में अंकित नहीं कर अपीलांट का आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी होना मानकर आवंटन निरस्त किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्ण रूप से पालन किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए में प्रस्तुत की जिस अपील का मुकदमा नं. 48/2012 रहा है जो दिनांक 14.09.2012 को आंशिक स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.12.2011 निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया तथा प्रस्तुत नजीर का कोई खण्डन नहीं होते हुए भी विधि विरूद्व रूप से निर्णय दिनांक 27.04.2015 पारित किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2015 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 11.06.1992 को खसरा नम्बर 1405 रकवा 3 बीधा भूमि ग्राम औंण्ड में आवंटित की गई। इसका नोट जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में है। जिसका नामांतरकरण संख्या 688 दिनांक 27.01.1993 को गैर खातेदार स्वीकार हुआ। अपीलांट का आवंटन दिनांक 11.06.1992 विधिवत व वैध है। अपीलांट का आवंटित आराजी खसरा नम्बर 1405 रकवा 3 बीघा ग्राम औंड पर आवंटन से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में दिनांक 25.06.1997 के निर्णय की अपील संख्या 299/08 गजुआ बनाम सरकार न्यायालय आरएए में पेश की जिसे आंशिक स्वीकार कर निर्णय दिनांक 25.06.1997 को निरस्त कर उक्त आवंटन की जॉच दस्तावेजी साक्ष्य से किया जाकर पुनः परीक्षण करने का आदेश दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पत्रावली को बिना तलव किये गलत तौर पर प्रकरण में बहस सुनकर जैर अपील निर्णय दिनांक 28.02.2011 विधि विरूद्व पारित किया गया। पत्रावली में आवंटन रिकार्ड तलव किये जाने की आदेशिका रही है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्वत् 2048 से 2051 की खसरा गिरदावरी स्वयं प्रार्थी रेस्पोडेंट तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी जिसमें काश्त पूर्ण अंकित है। इसी प्रकार गिरदावरी सवत् 2054 में पूर्ण काश्त दर्ज है। इस तथ्य को जानबूझकर निर्णय में अंकित नहीं कर अपीलांट का का आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी होना मानकर आवंटन निरस्त किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

गया है जबकि अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। जिसकी अपील संख्या 48/2012 अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए में प्रस्तुत की जो दिनांक 14.09.2012 को आंशिक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 28.12.2011 निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई आवंटन रिकार्ड पेश नहीं किया और मूल आवंटन पत्रावली भी पेश नहीं की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 23.06.1997 के द्वारा आवंटन निरस्त किया जिसकी अपील आरएए में की गई। आरएए द्वारा दिनांक 30.11.2009 को अपील रिमाण्ड की गई। इसके बाद जिला कलक्टर के निर्णय के द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) पुनः स्वीकार हुआ। जिसकी अपील पुनः आरएए में की गई जो पुनः रिमाण्ड की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक नजीर आरआरटी 2008 पेज 611 को भी नजरअंदाज किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) में जो आरोप लगाये गये है उनका कोई आधार नहीं है। मूल पत्रावली में गिरदावरी पेश की गई है। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 27.04.2015 निरस्त किया जाकर अपीलांट के हक में दिनांक 11.06.1992 को आराजी खसरा नम्बर 1405 रकवा 3 बीघा ग्राम औंड तहसील मण्डरायल के आवंटन को यथावत रखा जावे।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को दिनांक 11.06.1992 को आराजी खसरा नम्बर 1405 में 3 बीघा भूमि ग्राम औंण्ड तहसील मण्डरायल में आवंटित हुई। जिसका नामांतरकरण संख्या 688 दिनांक 21.01.1993 को गैर खातेदार स्वीकृत हुआ। जिसका नोट जमाबंदी व गिरदावरी में अंकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063, 2064 से 2067 एवं 2068 से 2069 के अनुसार उक्त भूमि पडत दर्ज है। केवल संवत् 2054 में बाजरा की गिरदावरी में अपीलांट/प्रार्थी की काश्त करना अंकित है। आवंटन के बाद काश्त नहीं की गई है। आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत लिखित बहस में भी अंकित किया है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कि प्रार्थी द्वारा आवंटन का प्रार्थना पत्र अपूर्ण भरा गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की भूमि का विवरण अंकित नहीं किया है। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार नहीं है और उसने आज तक आवंटित भूमि को काश्त नहीं किया है। पटवारी द्वारा भी आवंटन के फार्म पर अपूर्ण रिपोर्ट की है तथा आवंटन से पूर्व भूमि की उदघोषणा नहीं की गई है और न ही आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की है। इसलिए प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जावे। अपीलांट द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत का भी ससम्मान अवलोकन किया। न्यायिक दृष्टांत में शर्तों में परिवर्तन करने का उल्लेख किया गया है लेकिन उसके बाद भी अपीलांट की भूमि पर काश्त नहीं पायी जाती है। इस प्रकार प्रार्थी अपने पक्ष को साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 27.04.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर